न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री शंकुतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –05/2022

अनवान : –

1. निहालसिंह पुत्र माडूराम जाति खाती निवासी खचवाना त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. माडूराम पुत्र दौलताराम जाति खाती निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. औमप्रकाश पुत्र माडूराम जाति खाती निवासी खचवाना तहसील भादरा।
3. महेन्द्र पुत्र माडूराम जाति खाती निवासी खचवाना तहसील भादरा।
4. कृष्ण कुमार पुत्र माडूराम जाति खाती निवासी खचवाना तहसील भादरा।
5. भीखाराम पुत्र माडूराम जाति खाती निवासी खचवाना तहसील भादरा।
6. गुड्डी पुत्री माडूराम जाति खाती निवासी खचवाना तहसील भादरा।
7. सुमित्रा पुत्री माडूराम जाति खाती निवासी खचवाना तहसील भादरा।
8. शिमला पुत्री माडूराम जाति खाती निवासी खचवाना तहसील भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री राजेश बैनीवाल वादी
श्री सतवीर बैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 31/01/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 बारानी के खाता सं0 32/31 के मु0 न0 19 के किला न0 23, 24/2, 24/3 मु0न0 38 के किला 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2 की कुल 0.8230है0 बारानी जिसमें 0.7840है0 बारानी व 0.039है0 गै0मु0 रास्ता व चक 5 डीपीएन के खाता स0 79/74 के मु0न0 20 के किला न0 16 ता 18, 23 ता 25 मु0 न0 21 के किला न0 13, 18, 19, मु0 न0 24 के किला न0 1/1, 1/2, मु0 न0 25 के किला न0 1 ता 14 की कुल 5.8820है0 नहरी 5.8570है0 व गै0म0 रास्ता 0.025है0 खातेदारी प्रतिवादी स0 1 माडूराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा दौलताराम की खातेदारी हुआ करती थी। दौलताराम से विरासतन वादभूमि जो प्रतिवादी माडूराम ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी माडूराम ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी माडूराम के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 माडूराम को वादी के दादा दौलताराम से विरासतन प्राप्त हुई है। चालू जो प्रस्तुत दस्तावेज से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने रोही मौजा चक 8 एसडीआर के वर्तमान खाता संख्या 30/33 के मुरब्बा न0 62 के किला न0 11, 19 ता 23, मु0 न0 63 के किला न0 11 ता 25, मु0 न0 64 के किला न0 15, 16, 25, मु0 न0 72 के किला न0 1 ता 6, मु0 न0 73 के किला न0 1, 10 इस प्रकार कुल किता 32 की कुल 8.096 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता खाला खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 धर्मराज के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 बारानी के खाता सं0 32/31 के मु0 न0 19 के किला न0

23, 24/2, 24/3 मु0न0 38 के किला 2 , 3/1, 3/2 , 4/1, 4/2 की कुल 0.8230है0 बारानी जिसमें 0.7840है0 बारानी व 0.039है0 गै0मु0 रास्ता व चक 5 डीपीएन के खाता स0 79/74 के मु0न0 20 के किला न0 16 ता 18 , 23 ता 25 मु0 न0 21 के किला न0 13, 18, 19, मु0 न0 24 के किला न0 1/1 , 1/2, मु0 न0 25 के किला न0 1 ता 14 की कुल 5.8820है0 नहरी 5.8570है0 व गै0म0 रास्ता 0.025है0 खातेदारी प्रतिवादी स0 1 माडूराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, **उसमें प्रतिवादी सं0 1 माडूराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं 2 ता 5 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 1 व 6 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 के हक में त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31/01/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(शंकुतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शंकुतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 -05/2022

अनवान : -

1. निहालसिंह पुत्र माडूराम जाति खाती निवारी खचवाना त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. माडूराम पुत्र दौलताराम जाति खाती निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. औमप्रकाश पुत्र माडूराम जाति खाती निवासी खचवाना तहसील भादरा।
3. महेन्द्र पुत्र माडूराम जाति खाती निवासी खचवाना तहसील भादरा।
4. कृष्ण कुमार पुत्र माडूराम जाति खाती निवासी खचवाना तहसील भादरा।
5. भीखाराम पुत्र माडूराम जाति खाती निवासी खचवाना तहसील भादरा।
6. गुड्डी पुत्री माडूराम जाति खाती निवासी खचवाना तहसील भादरा।
7. सुमित्रा पुत्री माडूराम जाति खाती निवासी खचवाना तहसील भादरा।
8. शिमला पुत्री माडूराम जाति खाती निवासी खचवाना तहसील भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शंकुतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश बैनीवाल व वकील प्रतिवादी सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 बारानी के खाता सं0 32/31 के मु0 न0 19 के किला न0 23, 24/2, 24/3 मु0न0 38 के किला 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2 की कुल 0.8230है0 बारानी जिसमें 0.7840है0 बारानी व 0.039है0 गै0मु0 रास्ता व चक 5 डीपीएन के खाता स0 79/74 के मु0न0 20 के किला न0 16 ता 18, 23 ता 25 मु0 न0 21 के किला न0 13, 18, 19, मु0 न0 24 के किला न0 1/1, 1/2, मु0 न0 25 के किला न0 1 ता 14 की कुल 5.8820है0 नहरी 5.8570है0 व गै0म0 रास्ता 0.025है0 खातेदारी प्रतिवादी स0 1 माडूराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, **उसमें प्रतिवादी सं0 1 माडूराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं 2 ता 5 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 1 व 6 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 के हक में त्याग

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

पर्चा डीकी आज 31/01/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शंकुतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़